निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 चैत्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 216) पटना, मंगलवार, 24 मार्च 2020

वित्त विभाग

अधिसूचना

24 मार्च 2020

सं०-एम-4-04/2020-2190/वि०—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।—(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2020 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।

2. बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-131(ठ) के उपनियम-(ii) के नीचे निम्नांकित परन्तुक जोड़े जायेगें :-

> **''परन्तु, COVID-19 महामारी (पैनडेमिक) सन्दर्भित आपातकालीन अधिप्राप्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सचिव, सक्षम प्राधिकार होंगे, साथ हीं साथ आपातकालीन अधिप्राप्ति से संबंधित वस्तुओं/सामाग्रियों में कौन-कौन सी वस्तुएँ सम्मिलित होंगी का निर्धारण भी स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सचिव करेंगें ।''**

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय) ।

Finance Department

Notification

The 24th March 2020

No.-M-4-04/2020-2189/F.—In exercise of the powers conferred under Article 283(2) of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Financial Rules, 1950 (as amended from time to time):-

1. ***Short title, extent and commencement.***— (1) These rules may be called The Bihar Financial (Amendment) Rules, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. ***The following proviso shall be added below subrule (ii) of the Rule-131(L) of the Bihar Finanacial Rules, 1950:-***

" Provided that, for the purpose of emergency procurement with regard to the COVID-19 pandemic, the competent authority shall be the secretary incharge, Health Department who shall also decide which goods/equipment shall be included in the emergency procurement."

By order of the Governor of Bihar,
RAHUL SINGH,
Secretary (Expenditure).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 216-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in